

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 12.09.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-17 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना परस्पुर पुलिस ने 02, थाना को० नगर ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजेश यादव पुत्र भल्लर यादव निरोग्राम मलौनी थाना छावनी जनपद बस्ती व सरजू सोनकर पुत्र पितर्झ सोनकर निरोगनेशपुर ग्रन्ट मौजा पुरैना थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 2.8 किरोग्राम यूरिया, 800 ग्राम नौसादर व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-३०६ / 21, धारा 272 भादवि, 60 / 60(2) आबकारी अधिर०, 02. बाबू पुत्र सैहबू निरोग्राम माथेपुर खटिकनपुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-३०७ / 21, 03. रामदेव कोरी पुत्र अलगू कोरी निरोग्राम अढमलपुर बहदग्राम बेर्इलिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-३०८ / 21, 04. बब्बन पुत्र बेकारू निरोग्राम अढमलपुर बहदग्राम बेर्इलिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-३०९ / 21, धारा 60 आबकारी अधिर० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामउजागर वर्मा उर्फ करिया पुत्र घुरहू निरोग्राम गायघाट थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-२५४ / 21, धारा 60 आबकारी अधिर० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. कमलेश तिवारी पत्नी भोलू निरोग्राम खटकहिया अमवा मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-२७४ / 21, 02. चन्द्रपाल सिंह वर्मा पुत्र चेतराम निरोग्राम तारपुरवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-२७५ / 21, धारा 60 आबकारी अधिर० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. नीलू पत्नी जगदेव उर्फ गोली निरोग्राम नरौना अर्जुन थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 18 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-३४१ / 21, धारा 60 आबकारी अधिर० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. ननकू सोनकर पुत्र राम मनोहर सोनकर नि० ग्राम भटपुरवा मौजा बनवरिया थाना को० नगर जनपद गोणडा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-७०९/२१, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. वैजनाथ पुत्र रामचन्द्र नि० नउवन पुरवा थाना परसपुर जनपद गोणडा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-२४७/२१, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल
जनपद गोण्डा दिनांक 12.09.2021

नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त महेश वर्मा उर्फ बाधू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक में आम्सू एकट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. महेश वर्मा उर्फ बाधू पुत्र लक्ष्मण वर्मा नि0 भवनियापुर खुर्द थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-314/21, धारा 4/25 आम्सू एकट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तार कर्ता—

उ0नि0 शिवलखन सिंह मय टीम।